अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

भूनेश्वर गंझू
बनाम
खिरोज मौलाना एवं अन्य

आदेश पत्रक ता0– **11.12.2024** से तक

जिला– बोकारो केश सं0– 28 / **2024–25**

केश का प्रकार– विविध वाद

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11/12/2024	आवेदक– भूनेश्वर गंझू, पिता– स्व0 कन्हाई गंझू, ग्राम– कोड़वा पंचायत लोधी, पो0– कुर्कनालो, थाना– चतरोचट्टी, जिला– बोकारो के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर सूचित किया गया है कि मौजा– लोधी अंतर्गत खाता सं0– 29, प्लॉट सं0– 460, कुल रकवा– 52 एकड़ मध्ये 20 डी0 जमीन जो गैरजमरूआ खास किस्म का जमीन है। जिसका चौहद्दी उ0– रोड पी0सी0सी, द0– सरकारी स्कूल (प्राथमिक उत्क्रमित विद्यालय पतिया), पू0– स्वंय रैयती जमीन, प0– पी0सी0सी0 रोड है। उक्त जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोग (1) खिरोज मौलाना, पिता जुबां वली मियां, सा0– लोधी, (2) सनाउल हाफीज, पिता सर्फरूद्दीन मियां, सा0– कोड़वा, (3) तावीश रजा उर्फ चरकु मियां, पिता कमरूद्दीन मियां, सा0– कोड़वा, (4) रज्जाक मियां सदर, पिता कनी मियां, सा0– पतिया, (5) सिराज मौली साहिब, पिता मनी मियां, सा0– पतिया तथा आस–पास गाँव के अन्य लोग जो थाना– चतरोचट्टी, जिला– बोकारो के निवासी है। इनके द्वारा जबरन मदरसा बनाकर जमीन का अतिक्रमण कर रहे है। जिससे वहाँ रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों को आपत्ति हो रहा है। अंत में उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन पर अवैध मदरसा निर्माण को रोकने हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक– 27 / 12 / 2024 को रखें। 11.12.24 अंचल अधिकारी, गोमिया।	1026 NSHC 14/12/24

27/12/24 — प्रथम पक्ष अनुपस्थित। प्रतिवादी सं० ③ की ओर से हाजिरी है। इनके द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज दाखिल किया गया है। प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग की। अभिलेख दिनांक- 20/01/2025 को रखें।

27/12/24
अंचल अधिकारी

20/01/2025 — संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। द्वितीय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आवेदक अनुपस्थित है। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका।

To 29/01/2025

20/1/25
अंचल अधि०

29/01/25 — संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। आवेदक अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका।

To 19/02/2025

29.1.25
अंचल अधिकारी

2/25

1135 to K.C
28/12/24

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
…4/25	आवेदक अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका। अभिलेख दिनांक – 07/03/2025 को रखें। 19/2/25 अंचल अधिकारी	
07/03/2025	उभय पक्ष अनुपस्थित। Put up on 04/04/2025 7/3/25 अंचल अधिकारी	
04/04/25	अभिलेख उपस्थापित। पक्ष एवं विपक्ष अनुपस्थित। अधोहस्ताक्षरी अन्य सरकारी कार्य में व्यस्तता के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका। पुनः अभिलेख सुनवाई दिनांक – 23/04/25 को रखें। 4/4/25 अंचल अधिकारी	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
23/04/25	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित है। अधोहस्ताक्षरी के अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय कार्य नहीं हो सका। अभिलेख दिनांक- 14.05/2025 को रखें। [signature] 23/4/25 अंचल अधिकारी गोमिया।
14/05/25	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया गया। दोनों पक्ष पिछले तीन तिथियों से सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतः रुचि के अभाव में इस वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। [signature] 14.5.25 अंचल अधिकारी गोमिया। [signature] 14.5.25 अंचल अधिकारी गोमिया।

Digitally signed by Md Aftab Alam
Date: 2025.05.16 14:01:34 +05:30
Location: 192.168.33.139